संख्या– 1187 / बयालिस–2020–38 / एस0पी0 / 30 / 84 टी0सी0

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

खेल अनुभाग   लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2020

विषय **उत्तर प्रदेश के समस्त तहसीलों, जनपद, मण्डल तथा राज्य में " उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली, 2020 " को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि वर्ष 1974 में खेल निदेशालय,उ0प्र0 की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ग्रामीणांचलो / शहरी युवाओं एवं युवतियों, बालक, बालिकाओं का चयन कर प्रदेश में स्थापित स्पोर्ट्स स्टेडियम में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उत्कृष्ट एवं उदीयमान खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप विशेषज्ञों की टीम द्वारा चयनित कर उन्हें प्रदेश में स्थापित स्पोर्टस हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉलेज में रखकर भोजन, रहने हेतु छात्रावास की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाऐं मुहैया कराते हुए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर उन्हें प्रदेशीय, राष्ट्रीय, एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था। स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षित बच्चों ने राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिससे खेल विभाग की योजनाओं को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

2– प्रदेश में खेल के बहुमुखी विकास के लिए वर्ष 1984 में जनपदों में जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के गठन का निर्णय उ0प्र0 शासन द्वारा लिया गया। उक्त के दृष्टिगत समिति की नियमावली (जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली–1984) प्रख्यापित की गयी। समिति का गठन करने की परिकल्पना थी कि खेलों के प्रति अभिरूचि के अवसर जिला स्तर पर विकसित किये जायें जिससे कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। यह समिति सीमित दायरे में कुछ ही घटकों से गठित थी, जिसके दृष्टिगत जनसंख्या की दृष्टि से तथा नवीन खेलों में खिलाड़ियों की बढ़ती रूचि व प्रतिस्पर्धा में सहभागिता, विशिष्टिकरण, क्षमता

–2

वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक थी कि समस्त निचले स्तर से उच्च स्तर तक सभी विशेषकर ओलम्पिक खेलों में अधिक से अधिक प्रतिभा को लाभ मिल सके। चूँकि परिवार, गॉव, ब्लॉक, तहसील जहॉ से प्रतिभाएँ और युवा वर्ग के पास योग्यताओं का प्रचुर मात्रा में भण्डार है, उसका सुसंगत एवं व्यवस्थित ढंग से चयन व विकास की आवश्यकता एवं प्रतिस्पर्धा, जानकारी, प्रचार–प्रसार की दृष्टि से समिति के पुर्नगठन होने के बाद गॉव स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक श्रृंखलाबद्ध ढ़ंग से एकरूपता देखने को मिलेगी। खिलाड़ियों को योजनाओं का पारदर्शी ढंग से अधिक से अधिक लाभ देने एवं गांव स्तर से प्रदेश स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों का चिन्हॉकन कर खेलों में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय एवं परम्परागत खेलों को बढावा देने के लिए जिला खेल प्रोत्साहन समिति के पुर्नगठन की नितान्त आवश्यकता थी। उक्त को ध्यान में रखते हुए " जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली 1984 " को संशोधित करते हुए " उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली, 2020 " प्रख्यापित की गयी है।

उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली, 2020 के निम्नवत् उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

1. खेल संस्कृति का समस्त वर्गों यथा– महिलाओं, दिव्यांगजन इत्यादि में बढ़ावा देना।
2. खेलों का विस्तार एवं प्रतिभागिता प्रतिशत बढ़ाना।
3. खेल प्रतिभाओं का चिन्हींकरण एवं बहुमुखी क्षमता विकास करना जिससे वह चयनित खेल में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करें।
4. खेल अवस्थापनाओं, उपकरणों, भौतिक संरचना एवं मानव संसाधनों का इन्वेन्ट्राइजेशन करना जिससे समस्त संसाधनों का प्रयोग बढ़े।
5. एक सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षण व क्षमता विकास, आधुनिक टेस्टिंग मानकों/मनोवैज्ञानिक प्रचार–प्रसार व तकनीक के माध्यम से किया जायेगा।
6. सभी सम्बन्धित घटकों, खेल संघों/संस्थाओं, विभागों यथा– युवा कल्याण, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास, उद्योग, सेना, रेलवे, सार्वजनिक उपकम, स्वयंसेवी सस्थाऐं आदि के मध्य समन्वय रखते हुए खेलों का समग्र विकास करना।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न नियमावली में उल्लिखित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक– यथोक्त।</u>

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1187 / बयालिस–2020–तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।

4– समस्त अध्यक्ष एवं सदस्य, उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली, 2020 ।

5– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार ।।)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली–2020

संक्षिप्त नाम

1–संक्षिप्त नाम :–
यह नियमावली " उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली, 2020 " कही जायेगी।

संक्षिप्त विवरण

2–संक्षिप्त विवरण :–
वर्ष 1984 की जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति को अतिक्रमित करते हुए खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति नियमावली, 2020 प्रख्यापित की जाती है तथा जिसका कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश रहेगा

परिभाषाऐं

3–परिभाषाऐं
इस नियमावली में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो :
(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष से है।
(ख) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य विभिन्न स्तर पर गठित समितियों के पदेन सदस्य से है।
(ग) "राज्य सरकार " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति का उद्देश्य एवं लक्ष्य

4–खेल प्रोत्साहन समिति का उद्देश्य एवं लक्ष्य :–
1. खेल संस्कृति का समस्त वर्गों यथा– महिलाओं, दिव्यांगजन इत्यादि में बढ़ावा देना।
2. खेलों का विस्तार एवं प्रतिभागिता प्रतिशत बढ़ाना।
3. खेल प्रतिभाओं का चिन्हींकरण एवं बहुमुखी क्षमता विकास करना जिससे वह चयनित खेल में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करें।
4. खेल अवस्थापनाओं, उपकरणों, भौतिक संरचना एवं मानव संसाधनों का इन्वेन्ट्राइजेशन करना जिससे समस्त संसाधनों का प्रयोग बढ़े।
5. एक सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षण व क्षमता विकास, आधुनिक टेस्टिंग मानकों/मनोवैज्ञानिक प्रचार–प्रसार व तकनीक के माध्यम से किया जायेगा।
6. सभी सम्बन्धित घटकों, खेल संघों/संस्थाओं, विभागों यथा– युवा कल्याण,शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास, उद्योग, सेना, रेलवे, सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी सस्थाऐं आदि के मध्य समन्वय रखते हुए खेलों का समग्र विकास करना।

उक्त उद्देश्यों का यह लक्ष्य है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों का प्रतिभागिता प्रतिशत विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में बढ़े जिससे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पुरस्कृत खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो।

खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की संरचना

5– उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के अधीन निम्न (तीन) उप समितियाँ भी होगी :–
अ–तहसील खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति
ब–जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति
स–मण्डलीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति

अ–तहसील खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति	अ–1–तहसील खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति का गठन करना है ताकि गाँव स्तर से लेकर तहसील स्तर तक की प्रतिभाओं को युवा कल्याण तथा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों को, अपने प्रतिभा दर्शाने का सामान्य अवसर प्राप्त हो सके।
सदस्य	अ–2–सदस्य समिति की सदस्यता निम्नवत् गठित होगी:– 01–एस0डी0एम0–अध्यक्ष 02–सी0ओ0–उपाध्यक्ष 03–मा0 स्थानीय विधायक/जन प्रतिनिधि विशेष आंमत्रित सदस्य। 04–तहसीलदार–सह उपाध्यक्ष 05–सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी 06–खण्ड विकास अधिकारी 07–सहायक विकास अधिकारी, पंचायत 08–प्राचार्य राजकीय डिग्री/इण्टर कॉलेज 09–अधिशासी अधिकारी, टाउन एरिया 10–प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 11–एरिया मैनेजर इण्डस्ट्री 12–क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा नामित व्यक्ति 13–दो उदीयमान खिलाड़ी जो तहसील निवासी हैं। 14–खेल संघ के प्रतिनिधि 15–अन्य – विशेष आमंत्री 16–क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी–सचिव/कोषाध्यक्ष 17–क्रीड़ाधिकारी/उपक्रीड़ाधिकारी/सहायक प्रशिक्षक
प्रबन्ध समिति	अ–3– तहसील स्तरीय प्रबन्ध समिति
समिति की बैठक	अ–4–समिति की बैठक सचिव का दायित्व होगा कि 6 माह में एक बैठक आयोजित करायें।
कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व	अ–5–कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:– तहसील खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के निम्न कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होंगे– 1. तहसील स्तरीय खेल कैलेण्डर एवं प्रशिक्षण कैलेण्डर का प्रख्यापन तथा उसके विभिन्न टेस्ट के मानकों के विषय में व्यापक प्रचार–प्रसार। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं खेलों में विशिष्टता लाने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, इस को ऑन लाइन पोर्टल/वेबसाइट पर फीड करना एवं वांछित सूचनायें एवं विवरण उपलब्ध कराना, 2. तहसील स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में उपस्थित होकर फोटो लोड करना, 3. तहसील अर्न्तगत सभी खेल अवस्थापनाओं को ऑन लाइन जियो टैगिंग करना; उपकरणों,खेल मानव संसाधनों यथा खेल प्रशिक्षकों, खिलाडियों एवं हुनरमन्द खेल प्रतिभाओं को सूचीबद्ध करना। विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करना एवं कार्यवाही करना; 4. तहसील स्तरीय खेल संघों, सभी घटकों, जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति से समन्वय स्थापित करके खेल गतिविधियों को बढ़ाना; khelo India

App का अधिकतम प्रचार–प्रसार तथा खेल निपुणता हेतु व्यवस्था करना,
5. शारीरिक फिटनेस बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित Youtube पर प्रशिक्षण सामग्री को प्रचारित करना, योग कैम्प एवं घरेलू एवं परम्परागत खेलों का विकास एवं आयोजन, जन जागरुकता अभियान चलाना, महिलाओं/दिव्यांगजनों/सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों एवं श्रमिकों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने हेतु विशेष खेल प्रतियोगितायें एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन;
6. विभिन्न खेलों की तहसील स्तरीय खेल टीम एवं खिलाडियों का चिन्हॉकन कर आवासीय कीड़ा छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कालेजेज हेतु नाम भेजना,
7. तहसील खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति प्राप्त चन्दा, दान, सरकार से प्राप्त ग्राण्ट अन्य व्यक्तियों और सरकारी समितियों, खेल संघो आदि से प्राप्त दान को सम्बन्धित जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के बैंक खाते में जमा करेंगी तथा प्राप्त राशि का बैंक खाते एवं आय–व्यय का रखरखाव करेंगी।
8. खेल गतिविधियों में सहभागिता बढ़ाने, विशिष्टता लाने के लिए अन्य कार्य जो समिति उचित समझें।
9. विभाग द्वारा खेल निदेशालय, उ0 प्र0 एवं प्रदेशीय कीड़ा संघों के समन्वय से सबजूनियर एवं जूनियर वर्ग के बालक एवं बालिकाओं का प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उक्त प्रतियोगिताओं में मण्डलीय टीमें भाग लेती है। मण्डलीय टीमों को चयन हेतु तहसील, जनपद एवं मण्डल स्तर पर चयन/ट्रायल्स आयोजित किया जाता है। अतः जूनियर एवं सब–जूनियर वर्ग में तहसील स्तर पर आयोजित होने वाली चयन/ट्रायल्स में युवा कल्याण विभाग द्वारा खिलाडियों को सम्मिलित कराया जायेगा तथा युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलों के विकास व प्रोत्साहन हेतु ब्लाक व तहसील स्तर पर अधिक से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।
10.तहसील स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन युवा कल्याण विभाग के ग्रामीण स्टेडियमों /खेल अवस्थापना सुविधाओं पर उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा। जहाँ पर युवा कल्याण विभाग की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नही है, वहां पर किसी विद्यालय/महाविद्यालय के खेल मैदान पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा।

जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति

ब–1–जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति

खिलाड़ियों के बहुमुखी विकास एवं निर्धन, उदीयमान खिलाड़ियों, क्लबों को सहायता पहुँचाने के लिए जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका दायित्व सभी कड़ियों से सामन्जस्य स्थापित कर खेल के प्रति जागरूकता व संसाधनों को बढ़ाना है।

सदस्य

ब–2–सदस्य–
01–जिलाधिकारी–अध्यक्ष
02–स्थानीय मा0 विधायक/सांसद विशेष आंमत्रित सदस्य (नाम के अंग्रेजी वर्णमाला कम में एक विधायक प्रतिवर्ष) जो खेल में अभिरूचि रखते हो तथा खेल को प्रोत्साहन देने के इच्छुक हो।
03–मा0 मेयर/नगर पालिका अध्यक्ष(नाम के अंग्रेजी वर्णमाला कम में एक प्रतिवर्ष)
04–एस0एस0पी0/एस0पी0/पुलिस आयुक्त–उपाध्यक्ष

(98

05—मुख्य विकास अधिकारी—सह उपाध्यक्ष
06—मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष
07—जिला विद्यालय निरीक्षक
08—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
09—जिला समाज कल्याण अधिकारी
10—जिला दिव्यांजन कल्याण अधिकारी
11—जिला पंचायत राज अधिकारी
12—उपाध्यक्ष विकास प्रधिकरण
13—नगर आयुक्त नगर निगम
14—जिला सूचना एवं प्रसार अधिकारी
15—जिला वन अधिकारी
16—मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
17— अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई।
18—जिला व्यायाम शिक्षक
19—एरिया कमांडर,सेना
20—मण्डल रेल प्रबन्धक द्वारा नामित कीड़ा अधिकारी
21—कमाण्डेंट पी0ए0सी0
22— जिला खेल संघ के प्रतिनिधि
23—महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र
24— रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय द्वारा नामित कीड़ाधिकारी
25— प्रभारी, नेहरू युवा केन्द्र
26—जिला ओलम्पिक संघ के सदस्य
27—दो ख्याति प्राप्त खिलाड़ी
28—क्रीड़ाधिकारी—सचिव / कोषाध्यक्ष
29—जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी

प्रबन्ध समिति

<u>ब—3—जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति</u>

कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

<u>ब—4—कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वः—</u>

जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के निम्न कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होंगे—

1. खेल प्रतियोगितायें एवं प्रशिक्षण शिविरों का सतत् अनुश्रवण, विभिन्न स्तरों पर खेलों में उपलब्धियों के विषय में मानकों का व्यापक प्रसार जिससे स्वयं मूल्यॉकन के आधार पर किया जा सके।

2. जिला स्तर पर आयोजित प्रतिस्पर्धा कार्यकमों में समिति सदस्य उपस्थित होकर फोटो लोड करना,

3. जिला अन्तर्गत सभी खेल अवस्थापनाओं को ऑन लाइन जियो टैगिंग करना; समस्त विभागों के बजट से कय किये गये उपकरणों, व खेल सामग्री मानव संसाधनों यथा खेल प्रशिक्षकों, खिलाडियों एवं हुनरमन्द खेल प्रतिभाओं को सूचीबद्ध करना। विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करना एवं कार्यवाही करना;

4. जिला स्तरीय खेल संघों,सभी घटकों, जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति से समन्वय स्थापित करके खेल गतिविधियों को बढाना; khelo India App का अधिकतम प्रचार—प्रसार तथा खेल निपुणता हेतु व्यवस्था करना, ऑल इण्डिया रेडियों व दूरदर्शन उ0प्र0 पर विभिन्न कार्यकमों के विषय में चर्चा करना,

5. शारीरिक फिटनेस बढाने के उद्देश्य से योग कैम्प एवं घरेलू एवं परम्परागत खेलों का विकास एवं आयोजन; जन जागरुकता अभियान चलाना महिलाओं/दिव्यांगजनों/सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों एवं श्रमिकों की खेलों में भागीदारी बढाने हेतु विशेष खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन,

6. विभिन्न खेलों की जिला स्तरीय खेल टीम एवं खिलाडियों का चिन्हॉकन कर आवासीय कीड़ा छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कालेजेज हेतु नाम भेजना,

7. जिले में आवश्यक खेल अवस्थापनाओं, उपकरणों, खेल मानव संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना यथा शिक्षा/स्कूलों में खेल सामग्री की उपलब्धता तथा सदुपयोग एवं इन्हें विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करना एवं कार्यवाही करना,

8. विभिन्न खेलों की जिला स्तरीय खेल टीम एवं खिलाडियों का चयन,

9. खेल प्रतियोगितायें एवं प्रशिक्षण शिविरों हेतु एवार्ड राशि/प्रोत्साहन का निर्धारण,

10. जिला अर्न्तगत सभी तहसीलों से प्राप्त विवरण को एकत्र कर खेल अवस्थापनाओं का जिला स्तरीय खेल कैलेण्डर एवं प्रशिक्षण कैलेण्डर का प्रख्यापन (अनुसूची–क) तथा उसके अनुरुप खेल प्रतियोगितायें का आयोजन एवं खेलों में विशिष्टता लाने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन; इस को ऑन लाइन पोर्टल/वेबसाइट पर फीड करना एवं वांछित सूचनायें एवं विवरण उपलब्ध कराना।

11. जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति का बैंक खाते एवं आय–व्यय का रखरखाव,

12. तहसील व मण्डल की प्रोत्साहन समिति को जिला समिति की जमा कुल धनराशि का आवश्यक्तानुसार 20 प्रतिशत का अंशदान प्रतिवर्ष उनके कार्यकलापों हेतु दिया जायेगा।

13. खेल गतिविधियों में सहभागिता बढाने, विशिष्टता लाने के लिए अन्य कार्य जो समिति उचित समझें।

जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के आय के स्रोत, प्रोत्साहन निधि और प्रबन्ध

<u>ब–5–जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के आय के स्रोत, प्रोत्साहन निधि और प्रबन्ध–</u>

(i) जिला समिति के महत्वपूर्ण दायित्व हैं जिनको कियान्वित करने हेतु जनपद स्तर पर खेल समिति के आय के स्रोत बढ़ाना अति आवश्यक है। जिला स्तर पर विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं से दान, टूर्नामेण्ट स्पॉन्सरशिप/सौजन्य से, विभिन्न अवस्थापनाओं के उपयोग हेतु सदस्यता शुल्क, विधायक निधि आदि से संसाधन बढ़ाये जा सकते हैं। कुछ उदाहरणस्वरूप शुल्क नियमावली के **(अनुसूची 'ख')** में इंगित हैं।

(ii) प्राप्त चन्दा, दान और सरकार से प्राप्त ग्राण्ट अन्य व्यक्तियों और सरकारी समिति,खेल संघों आदि से प्राप्त दान से समिति की निधि का गठन होगा और उसका उपयोग समिति के प्रयोजन के लिये किया जायेगा।
जिसके अर्न्तगत जंगम और स्थावर सम्पत्ति का क्रय करना भी है।

(iii) समिति की निधि एक अनुसूचित बैंक के एक खाते में रखी जायेगी और उसके ऐसे भाग को जिसकी तुरन्त आवश्यकता न हो, बैंक या डाकखाने में सावधिनिक्षेप में विनियोजित किया जा सकता है।

(iv) प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जायें। लेकिन

चेक जारी करने का अधिकार सचिव/कोषाध्यक्ष (आहरण वितरण अधिकारी) प्रोत्साहन समिति को होना चाहिए। व्यय प्रतियोगितायें आयोजन/खिलाड़ियों की पोशाक/
उपकरण/पुरुस्कार/प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु यात्रा भत्ता एवं खेल संरचनाओं के रख रखाव पर ही किया जायेगा।

(v) जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति तहसील एवं मण्डलीय समिति को बैठकें आयोजित करने के लिए प्रतियोगिताओं के लिए, सम्पत्ति सृजन के लिए, वार्षिक कार्य योजना हेतु धनराशि आवंटित करेगी।

(vi) सभी वस्तुओं का कय एवं सेवाओं का अर्जन जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर उपलब्ध न होने पर कय नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कय किया जायेगा।

(vii) सभी भुगतान ऑनलाइन एवं आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किये जायेंगे। नियमानुसार सम्बन्धित फर्मो/संस्थाओं को जारी किये जाने वाले भुगतान से पूर्व टी0डी0एस भी काटा जायें।

(viii) जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति का प्रत्येक वर्ष ऑडिट चार्टेड एकाउन्टेट से कराया जायें तथा उससे सम्बन्धित व्यय प्रोत्साहन समिति से किया जायें।

(ix) खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति में दान दिये जाने वाले दानदाताओं को धारा–80 जी के अन्तर्गत छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 12 के तहत् समस्त कार्यवाही जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति से की जायें।

(x) सचिव किसी भी समय समिति के दिन प्रतिदिन के खर्चे को पूरा करने के लिए एक हजार रूपये तक की धनराशि अपने पास रख सकता है एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय करेगा।

(xi) समिति की आय और सम्पत्ति दोनों जंगम और स्थावर और उसके कार्यकलाप का अधीक्षण नियंत्रण और प्रबन्ध, सम्पत्ति का इन्वेन्ट्राइजेशन निहित होगा जो समिति के उददेश्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का पालन करेगी।

(xii) समिति के सदस्य जो पदेन सदस्य से भिन्न है, दो वर्षो की अवधि के लिए
पदधूत करेंगे और दो वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नाम निर्दिष्ट किये जाने के पात्र होगें। समिति द्वारा किसी सदस्य को समिति के हितो के विपरीत कार्य करने पर निष्कासित कर दिया जायेगा।

समिति की बैठक

ब–6–समिति की बैठक –

समिति की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार आहूत की जाये। यथासम्भव फरवरी के महीने में बुलाई जायेगी जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में किये गये कार्य का मूॅल्याकन किया जायेगा मोटे तौर पर चालू वर्ष के दौरान किये जाने वाले कार्य का अनुमोदन किया जायेगा पिछले वर्ष का लेखा अनुमोदित किया जायेगा।

सचिव की शक्ति और उसके कर्तव्य

ब–7–सचिव की शक्ति और उसके कर्तव्य –

(अ) सचिव समिति के किसी सामान्य और विनिर्दिष्ट निर्देश के अधीन रहते हुये ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो समिति के लक्ष्य और उद्देश्य की सफलता के लिये आवश्यक या वांछनीय

C 96

/

हो जिसके अर्न्तगत उसके द्वारा सम्बद्ध की गई विशेष योजना और उस पर व्यय करना भी है।

(ब) सचिव, जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति द्वारा जिला संबंधित विवरण को विभाग द्वारा विकसित साइट/पोर्टल/ऐप से इन्टीग्रेटेड करेंगे जिसमें जिले में उपलब्ध खेल संरचना, उपकरण, खेल से सम्बन्धित मानव संसाधन का इन्वेण्ट्राइजेशन, खेल कलेण्डर, आयोजित खेल प्रतियोगितायें, सभी खेलों के नियम एवं सफल खिलाडियों के अवस्मरण, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय लक्ष्य प्रदर्शित करेंगें। इसी वेबसाइट पर तहसील एवं मण्डलीय समिति ऑनलाइन प्रविष्टियॉ करेंगी। स्पोर्टस छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कालेजों में प्रवेश के नियम/मानक भी अद्यतन अपलोड करेंगें। शिक्षा विभाग, खेल संघों, क्लबों, कॉलेजों, स्कूलों, नेहरू युवा केन्द्र, युवा कल्याण विभाग की प्रतियोगितायों के विस्तृत विवरण भी निर्धारित प्रारुप पर ऑन लाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगें जिसमें खिलाडियों/प्रशिक्षकों/मानव संसाधन के आधार नम्बर सहित विवरण फीड करेंगें।

मण्डलीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति

स–1–मण्डलीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति–

मण्ड़लीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति बनने से मण्ड़ल स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन, बडे निर्माण कार्यो की प्रतिपूर्ति, उदीयमान एवं निर्धन खिलाड़ियों को सम्मानित करने तथा खेल संघों के साथ समन्वय कर खेल प्रतियोगिताओं का वर्षभर कराने का एक साथ नया कलैण्डर बनाकर पूरे मण्ड़ल में सभी को सम्मिलित करते हुए सहभागिताएँ एवं सुविधायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा जा सकता है। मण्डल के समस्त जनपदों में खेल से सम्बन्धित कार्यकलापों के अनुश्रवण हेतु समिति गठित करना नितान्त आवश्यक है। मण्डलीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाले छात्रावास ट्रायल्स में सहायोग प्रदान करेगी।

समिति की बैठक

स–2–समिति की बैठक

इस समिति की बैठक वर्ष में 02 बार आयोजित की जायेगी।

सदस्य

स–3–सदस्य

01–आयुक्त–अध्यक्ष
02–स्थानीय मा0 सांसद/जनप्रतिनिधि विशेष आमत्रिंत सदस्य
03–डी0आई0जी–उपाध्यक्ष
04–अतिरिक्त आयुक्त, राजस्व–सह उपाध्यक्ष
05–मण्डलीय उप निदेशक, युवा कल्याण
06–संयुक्त विकास आयुक्त
07–अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
08–संयुक्त आयुक्त उद्योग
09–संयुक्त शिक्षा निदेशक
10–सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा अधिकारी,
11–क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
12–क्षेत्रीय पर्यअन अधिकारी
13–उप निदेशक समाज कल्याण
14–उप निदेशक पंचायतीराज
15–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई
16–सी0पी0एस0यू0 के प्रतिनिधि–सार्वजनिक उपकम सम्बन्धित मण्डल में स्थित

अग्रणी बैंक
17—मण्डल रेल प्रबन्धक
18—क्षेत्रीय सेना कमाण्डर
19—प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज द्वारा नामित सदस्य
20—रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय
21—मण्डलीय प्रभारी नेहरु युवा केन्द्र
22—दो शीर्ष ख्याति प्राप्त खिलाड़ी
23—खेल उपकरण निर्माण संघ
24—जिला ओलम्पिक संघ के सदस्य
25—क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी—सचिव/कोषाध्यक्ष

प्रबन्ध समिति

स—4— मण्डल स्तरीय प्रबन्ध समिति

उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति

6—उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति—

प्रदेश स्तरीय समिति के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान, प्रदेशीय प्रतियोगिताओं का आयोजन, उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन, अवस्थापनओं में बढ़ोत्तरी एवं उपयोग, खेल कार्यशालाओं का आयोजन आदि कार्य प्रदेशीय खेल समिति के माध्यम से कराये जा सकते हैं। यह समिति सर्वोच्च समिति के रूप में उपरोक्त समस्त समितियों के मार्गदर्शन देने हेतु गठित की जाती है।
पूर्व सम्बन्धित जिल खेलकूद प्रोत्साहन समिति की समस्त आस्तियाँ वर्तमान उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति में निहित हो जायेंगी। वर्तमान राज्य स्तरीय समिति, सम्बन्धित तहसील, जिला, मण्डल स्तरीय समिति उपयोगार्थ वितरण निहित करेगी।

समिति की बैठक

7—समिति की बैठक

इस समिति की बैठक वर्ष में एक बार होगी।

कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

8—कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

राज्य स्तर पर गठित समिति जिला समिति की परिसम्पत्ति, सम्पत्ति और उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में ऐसी विवरणों, लेखों और अन्य सूचना माँग सकती है जो समय—समय पर अपेक्षित हो और जिला समिति उसे तुरन्त प्रस्तुत करेगी। यह समिति " उ0प्र0 स्पोर्ट्समैन वेलफेयर ट्रस्ट " के क्रियाकलापों पर भी सुझाव देगी। राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति तहसील, जिला, मण्डल स्तरीय समिति के कार्यकलापों को नियंत्रण में रखते हुए उनका अनुश्रवण भी करेगी।

अध्यक्ष एवं सदस्य

9—अध्यक्ष एवं सदस्य

01—मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0—अध्यक्ष,
02—मा0 खेल मंत्री जी, उ0प्र0—वरिष्ठ उपाध्यक्ष
03—मुख्य सचिव—उपाध्यक्ष
04—स्थानीय मा0 सांसद/जनप्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य
05—कृषि उपादन आयुक्त
06—पुलिस महानिदेशक
07—अपर मुख्य सचिव वित्त
08—प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन
09—प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास
10—प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

11–प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा
12–प्रमुख सचिव नगर विकास
13–प्रमुख सचिव, सिंचाई
14–अध्यक्ष, उ0प्र0 ओलम्पिक संघ
15–सेना एरिया कमाण्डर,
16–जी0एम0 रेलवे द्वारा नामित प्रतिनिधि
17–क्षेत्रीय निदेशक,भारतीय खेल प्राधिकरण
18–प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग
19–प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा
20–प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा
21–प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा
22–प्रमुख सचिव प्रविधिक शिक्षा
23–प्रमुख सचिव पंचायती राज
24–प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार
25–प्रमुख सचिव युवा कल्याण विभाग
26–प्रमुख सचिव महिला कल्याण विभाग
27–प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग
28– प्रमुख सचिव दिव्यांगजन विभाग
29–प्रमुख सचिव, सिंचाई
30–महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल
31–खेल उपकरण निर्माण संघ
32–प्रमुख सचिव, खेल–संयोजक
33–निदेशक खेल विभाग उ0प्र0–सचिव/कोषाध्यक्ष

अन्य

10– अन्य

1. दो प्रमुख खिलाड़ी, ओलम्पिक, वर्ल्डकप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स में पदक विजेता जिन्हें खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के अध्यक्षों द्वारा सदस्य के रूप में नाम नामित किये जायेंगे।

2. ऐसे अन्य विशेष आमंत्री सदस्य जिनकी सदस्यता समय–समय पर अनुमोदित की जाये।

प्रबन्ध समिति

11– राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति

सामान्य मुहर

12–सामान्य मुहर

राज्य स्तरीय समिति की ऐसे आकार और डिजाइन की एक सामान्य मुहर होगी जिसे प्रबन्ध समिति इस नियत अवधारित करे। राज्य स्तरीय समिति, तहसील, जिला एवं मण्डल समिति की अलग–अलग मुहर निर्धारित करेंगे।

राज्य सरकार की शक्ति–

13–राज्य सरकार की शक्ति–

अ– राज्य सरकार राज्य स्तरीय समिति को राज्य की सुरक्षा या प्राप्त लोक हित से सम्बन्धित प्रकरणों में अपनी शक्ति का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए समय–समय पर निर्देश दे सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य निर्देश भी दे सकती है, जिसे वह समिति की वित्त व्यवस्था और उसके कार्य संचालन और उसके कार्यो के सम्बन्ध में आवश्यक और समीचीन समझें और इसी प्रकार किसी ऐसे निर्देश में परिवर्तन और उसे निष्प्रभाव कर सकती है समिति राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों को तुरन्त कार्यवान्वित करायेगी।

ब– राज्य सरकार जिला समिति की परिसम्पत्ति, सम्पत्ति और उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में ऐसी विवरणियों, लेखों और अन्य सूचना मॉग सकती है जो समय–समय पर अपेक्षित हो और जिला समिति उसे तुरन्त प्रस्तुत करेगी।

स– राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति के द्वारा तहसील/जिला/मण्डल स्तरीय समिति को आवश्यक निर्देश दिये जायेगें।

उपविधियाँ

14—उपविधियाँ
प्रबन्ध समिति ऐसी उपविधि बना सकती है जो समिति के ज्ञापन और इस नियमावली से असंगत न हो। प्रबन्ध समिति किसी भी उपविधि को संशोधित, परिवर्तित या परिवर्तन भी कर सकती है या उसमें से किसी उपबन्ध को निकाल सकती है।

नियमावली का संशोधन

15—नियमावली का संशोधन :—
इस नियमावली का संशोधन राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति से सामान्य निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बुलाई गयी बैठक में किया जा सकता है और ऐसी बैठक के लिए परिचालित कार्य सूची में प्रस्तावित संशोधन का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। इनका संशोधन राज्य स्तरीय समिति के प्रबन्ध समिति के 3/4 सदस्यों के बहुमत से की जा सकेगी।

हम समिति के शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य एतद्द्वारा प्रमाणित करते है कि यह समिति की नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है :—

सदस्य के हस्ताक्षर

सदस्य का नाम और पता

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

दिनांक 2020

अनुसूची– "क"

खेल विभाग द्वारा आयोजित कराये जाने वाली प्रतियोगिताओं का प्रस्तावित वार्षिक कलैण्डर

(माह अप्रैल से मार्च तक)

I राष्ट्रीय पर्वों पर प्रतिभागिता बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताएं

1	क्रास कण्ट्री दौड़	15 अगस्त	प्रदेश के प्रत्येक जनपद पर
2	हाकी के जादूगर स्व0 मेजर ध्यानचन्द जी के जन्म दिवस पर 14 वर्ष से कम आयु के बालको की हाकी प्रतियोगिता	29 अगस्त (खेल पर्व)	——तदैव——
3	पैदल चाल/तैराकी/ प्रचलित खेल	02 अक्टूबर	——तदैव——
4	साईकिल रेस/प्रचलित खेल	26 जनवरी	——तदैव——
5	बाल दिवस के अवसर पर 14 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं की पैदल चाल/कबड्डी/खो–खो की प्रतियोगिता	14 नवम्बर (बाल दिवस)	प्रदेश के प्रत्येक तहसील पर (युवा कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से)

II ओलम्पिक मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत तथा टीम खेलों की चयन प्रकिया हेतु आयोजित होने वाली खेलों की अनुमानित समय–सारिणी

खेल निदेशालय, युवा कल्याण तथा शिक्षा विभाग द्वारा इन तिथियों के पूर्व अपने/विभिन्न स्तर के खेलों के आयोजन करने की आवश्यकता है। प्रदेशीय कीड़ा संघों के द्वारा सब जूनियर (14 से 16 वर्ष) एवं जूनियर वर्ग (16 से 19 वर्ष से कम) के बालक/बालिकाओं के खेल प्रदेश स्तर पर तथा तहसील, जिला एवं मण्डल पर आयोजित होते है। उन शीर्षस्थ खेलों के लिए उनके नाम तथा बच्चों के प्रोफाइल तथा उपलब्धियों को अपलोड करना अनिवार्य किया जाना होगा।

क0 स0	खेल	ग्रुप	वर्ग	सम्भावित माह तहसील ट्रायल्स	सम्भावित माह जिला ट्रायल्स	सम्भावित माह मण्डल ट्रायल्स	सम्भावित माह राज्य स्तर प्रतियोगिता	संघ द्वारा प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सम्भावित तिथि/माह	आयोजन स्थल
1	तैराकी	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)	बालक/ बालिका	01 मई तक	15 मई तक	20 मई तक	21 से 30 मई तक	फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय चैम्पि0के आयोजन तिथि के अनुसार	लखनऊ
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						वाराणसी

2	बैडमिन्टन	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	15 अगस्त तक	15 सितम्बर तक	15 अक्टूबर तक	16 से 30 अक्टूबर तक	—तदैव—	गाजिया
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						बस्ती
3	बाक्सिंग	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	20 जुलाई तक	20 अगस्त तक	20 सितम्बर तक	01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक	—तदैव—	बहराइ कानपु
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						बरेली बुलन्द र
4	फुटबाल	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	15 अगस्त तक	15 सितम्बर तक	15 अक्टूबर तक	20 अक्टूबर से 25 दिसम्बर तक	—तदैव—	मऊ आगरा
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						सहारनपु र महोबा
5	कबड्डी	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	10 जुलाई तक	10 अगस्त तक	05 सितम्बर तक	15 सितम्बर से 15 नवम्बर तक	—तदैव—	बांदा बलिय
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						झांसी कानपु
6	कुश्ती	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	20 अक्टूबर तक	20 नवम्बर तक	20 दिसम्बर तक	01 जनवरी से 25 फरवरी तक	—तदैव—	वाराण
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						मेरठ
7	जूडो	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	15 अक्टूबर तक	15 नवम्बर तक	15 दिसम्बर तक	16 दिसम्बर से 31 जनवरी तक	—तदैव—	मुराद द
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						गोरख
8	एथलेटिक्स	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	20 सितम्बर तक	20 अक्टूबर तक	20 नवम्बर तक	21 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक	—तदैव—	इटावा
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						बिजन र
9	हैण्डबाल	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	01 सितम्बर तक	01 अक्टूबर तक	01 नवम्बर तक	20 नवम्बर से 31 जनवरी तक	—तदैव—	बलरा र देवरि
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						सीतापुर मुजफ नगर
10	हाकी	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	15 सितम्बर तक	20 अक्टूबर तक	20 नवम्बर तक	21नवम्बर से 31 दिसम्बर तक	—तदैव—	रामपु अयोध्या
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						वाराण झांसी
11	वालीबाल	सब जूनियर (14 से 16 वर्ष)/	बालक/ बालिका	15 अक्टूबर तक	15 नवम्बर तक	15 दिसम्बर तक	16 दिसम्बर से 31 जनवरी तक	—तदैव—	फिरो ाद गाजी र
		जूनियर (16 से 19 वर्ष कम)	बालक/ बालिका						बलिय मथुरा

III महिलाओं की प्रतियोगिताओं का विवरण

क0 स0	खेल का नाम	वर्ग	सम्भावित माह तहसील ट्रायल्स	सम्भावित माह जिला ट्रायल	सम्भावित माह मण्डल ट्रायल्स	सम्भावित माह राज्य प्रतियोगिता	आयोजन स्थल
1	तैराकी टेबल–टेनिस	ओपन वर्ग (25 वर्ष से कम आयु)	01 अगस्त तक	30 अगस्त तक	15 सितम्बर तक	16 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक	वाराणसी
2	बास्केटबाल हैण्डबाल	—तदैव—	01 अगस्त तक	30 अगस्त तक	15 सितम्बर तक	16 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक	गोरखपुर
3	कबड्डी जिम्नास्टिक	—तदैव—	01 अगस्त तक	30 अगस्त तक	15 सितम्बर तक	16 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक	झांसी
4	खो–खो वालीबाल	—तदैव—	01 अगस्त तक	30 अगस्त तक	15 सितम्बर तक	16 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक	बलिया
5	टेनिस हाकी	—तदैव—	01 अगस्त तक	30 अगस्त तक	15 सितम्बर तक	16 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक	अलीगढ़
6	एथलेटिक्स बैडमिन्टन	—तदैव—	01 अगस्त तक	30 अगस्त तक	15 सितम्बर तक	16 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक	बरेली

IV अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताए

क0 स0	प्रतियोगिता का नाम	सम्भावित माह प्रतियोगिता का आयोजन	आयोजन स्थल
1	अखिल भारतीय के0 डी0 सिंह 'बाबू' स्मारक आमंत्रण प्राईजमनी हाकी प्रतियोगिता	01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक	लखनऊ
2	इन्दिरा मैराथन दौड़	19 नवम्बर	प्रयागराज
3	अखिल भारतीय आमंत्रण प्राईजमनी फुटबाल पुरूष प्रतियोगिता	15 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक	बाराबंकी
4	अखिल भारतीय आमंत्रण प्राईजमनी महिला हाकी प्रतियोगिता	01 दिसम्बर से 15 जनवरी तक	झांसी
5	ब्रहम्लीन परमपूज्य महन्त अवैद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय आमंत्रण प्राईजमनी कबड्डी पुरूष प्रतियोगिता	01 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक	गोरखपुर
6	अखिल भारतीय पद्मश्री मो0 शाहिद आमंत्रण प्राईजमनी पुरूष हाकी प्रतियोगिता	15 फरवरी से 15 मार्च तक	वाराणसी
7	अखिल भारतीय आमंत्रण प्राईजमनी वालीबाल पुरूष प्रतियोगिता	01 फरवरी से 15 मार्च तक	बलिया

पं0दीन दयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का प्रस्तावित वार्षिक कैलेण्डर वर्ष 2020–21

1– प्रत्येक मण्डल पर 1–1 राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिताओं का विवरण :–

क. स.	मण्डल	निर्धारित खेल	वर्ग	सम्भावित माह राज्य स्तर प्रतियोगिता
1	वाराणसी	तैराकी	पुरूष / महिला	01 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक
2	बरेली	फुटबाल	पुरूष	01 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक
3	झांसी	हाकी	महिला	01 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक
4	आगरा	जिम्नास्टिक	पुरूष / महिला	01 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक
5	गोरखपुर	कुश्ती	पुरूष / महिला	01 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक
6	सहारनपुर	जूडो	पुरूष / महिला	15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक
7	देवीपाटन मण्डल (गोण्डा)	कबड्डी	महिला	15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक
8	मेरठ	बैडमिन्टन	पुरूष / महिला	15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक
9	अलीगढ	बास्केटबाल	पुरूष	16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक
10	प्रयागराज	एथलेटिक्स	पुरूष / महिला	16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक
11	आजमगढ़	कबड्डी	पुरूष	16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक
12	लखनऊ	हाकी	पुरूष	16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक
13	मिर्जापुर	वालीबाल	पुरूष	16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक
14	बस्ती	फुटबाल	महिला	16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक
15	कानपुर	किकेट	पुरूष	16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक
16	अयोध्या	टेबल–टेनिस	पुरूष / महिला	16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक
17	मुरादाबाद	बाक्सिंग	पुरूष	16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक
18	चित्रकूटधाम (बादा)	हैण्डबाल	पुरूष	16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक

अनुसूची– 'ख'

" पे एण्ड प्ले तथा "कम एण्ड प्ले" के कियान्वयन के अर्न्तगत समस्त अवस्थापनाओं का पूर्ण उपयोग हो तथा अवस्थापनाऐं निष्प्रयोज्य न हों, इस के लिए यूजर चार्ज व फीस के माध्यम से जिला स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।

क0सं0	विवरण	अनुमानित धनराशि
1	मानक अनुसार प्रत्येक जिम/तरणताल संचालक का रजिस्ट्रेशन	वार्षिक रजिस्ट्रेशन व अन्य शुल्क सहित रू0 15,000/–एकमुश्त
2	स्टेडियम में आने वाले मान्नीयों/गणमान्य व्यक्तियों या वरिष्ठ लोगों को स्टेडियम का लाईफ टाईम मेम्बर बनाकर एकमुश्त फीस	60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों से 30,000/– रूपया, तथा 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों से 25,000/– रूपया, एकमुश्त धनराशि प्रोत्साहन समिति में जमा कराकर स्टेडियम का लाइफटाइम मेम्बर बनाया जाय। उपरोक्त लाइफटाइम मेम्बर से वर्ष में 10 माह का खेलवार निर्धारित मासिक शुल्क लिया जायेगा अर्थात् वर्ष में दो माह के मासिक शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।
3	खिलाड़ियों से पूरे वर्ष रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त	रू0100/–प्रति रजिस्ट्रेशन प्रोत्साहन समिति में शुल्क
4	खेल मैदानों के आरक्षण में	रू0 1,000/– प्रत्येक आरक्षण पर
5	बैडमिन्टन हॉल	प्रतिव्यक्ति रू01,000/– अंशदान के रूप में शुल्क
6	जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा असलहों का लाइसेन्स लेने वालों तथा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शराब लाइसेन्स लेने वालों से	रू0 5,000/– प्रोत्साहन समिति में जमा करवा जाय
7–	अन्य	स्टेडियम परिसर में आने वाले व्यक्तियों द्वारा खेल अवस्थापना/ इमारत की क्षति या तोड़–फोड़ करने पर नुकसान का आंकलन कराकर जुर्माना निर्धारित कर धनराशि को समिति में जमा कराया जायेगा।
8–	बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग में खेल हेतु लिये जा रहे शुल्क एवं प्राविधानित बजट से खेल विभाग एवं खेल संघों के सहयोग से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाय तथा उसका प्रभावी अनुश्रवण कराया जाय	जनपदों में अधिक से अधिक खेल कार्यकमों के आयोजन से खेल का माहौल बनेगा, जिससे नौनिहालों एवं उदीयमान खिलाड़ियों में खेल के प्रति रूझान व आकर्षण बढ़ेगा।

संशोधित समिति का संगम–ज्ञापन

1–समिति का नाम : उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति

2– समिति का नोडल कार्यालय : कलक्टरेट (जिले का नाम)————————

————————————

3– समिति के उद्देश्य जिसके लिए उसकी स्थापना की जाये :–

1. खेल संस्कृति का समस्त वर्गों यथा– महिलाओं, दिव्यांगजन इत्यादि में बढ़ावा देना।
2. खेलों का विस्तार एवं प्रतिभागिता प्रतिशत बढ़ाना।
3. खेल प्रतिभाओं का चिन्हींकरण एवं बहुमुखी क्षमता विकास करना जिससे वह चयनित खेल में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करें।
4. खेल अवस्थापनाओं, उपकरणों, भौतिक संरचना एवं मानव संसाधनों का इन्वेन्ट्राइजेशन करना जिससे समस्त संसाधनों का प्रयोग बढ़े।
5. एक सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षण व क्षमता विकास, आधुनिक टेस्टिंग मानकों/मनोवैज्ञानिक प्रचार–प्रसार व तकनीक के माध्यम से किया जायेगा।
6. सभी सम्बन्धित घटकों, खेल संघों/संस्थाओं, विभागों यथा– युवा कल्याण, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास, उद्योग, सेना, रेलवे, सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्थाऐं आदि के मध्य समन्वय रखते हुए खेलों का समग्र विकास करना।

उक्त उद्देश्यों का यह लक्ष्य है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों का प्रतिभागिता प्रतिशत विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में बढ़े जिससे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पुरस्कृत खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो।

समिति के नियमावली की एक प्रति जिसे शासी निकाय के कतिपय सदस्यों ने शुद्धि प्रति प्रमाणित किया है समिति के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जाती है।

हम कई व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे दिये गये है, इस ज्ञापन में वर्णित प्रयोजन से स्वयं सम्बद्ध होते हुये एतद्द्वारा इस ज्ञापन में अपने नाम लिखाते है और उस पर हम सभी अपने–अपने हस्ताक्षर करते है और पूर्व में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के स्थान पर " उ0 प्र0 खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति " का नाम का परिवर्तित करते है तदानुसार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (अधिनियम संख्या 21, 1860) के अधीन कार्यवाही की जायेगी। उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की नवीन नियमावली की प्रति उपरोक्त के साथ संलग्न है।

संख्या	सदस्य का नाम, पता और व्यवसाय	सदस्य के हस्ताक्षर	साक्षी का नाम पता और व्यवसाय	साक्षी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1–	....	....	....	....
2–	....	....	....	....
3–	....	....	....	....
4–	....	....	....	....
5–	....	....	....	....
6–	....	....	....	....
7–	....	....	....	....